भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2622
(जिसका उत्तर मंगलवार, 17 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है।)

अधूरी और लंबित आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा धनराशि दिया जाना

2622. श्री राम नाथ ठाकुरः
क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गृह निर्माण की अधूरी और लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बैंकों द्वारा धनराशि प्रदान किए जाने के लिए कोई घोषणा की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बैंक लोगों को ऋण प्रदान करने में अनिच्छुक हैं और उन्हें परेशान करते हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ख): मंत्रिमंडल ने 06 नवम्बर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में सस्ते और मध्यम-आय के आवासन के लिए एक विशेष विंडो के सृजन का अनुमोदन किया था ताकि मकान खरीदने वालों को उनके आवास की प्रदायगी करने में सहायता करने के उद्देश्य से रेरा में पंजीकृत रुकी पड़ी आवासन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अंतिम स्तर तक वित्तपोषण प्रदान किया जा सके। विशेष विंडो में व्यावसायिक रूप से प्रबंधित वैकल्पिक निवेश निधियां (एआईएफ) शामिल होंगी। विशेष विंडो के अंतर्गत निर्मित/वित्तपोषित वैकल्पिक निवेश निधियां निजी तौर पर प्रबंधित वैकल्पिक निवेश निधियां होंगी जो भारत सरकार, सरकार से संबंधित और निजी वित्तीय संस्थाओं, सावरेन संपदा निधियों, सरकारी और निजी बैंकों, घरेलू पेंशन तथा भविष्य निधियों, वैश्विक पेंशन निधियों तथा अन्य संस्थागत निवेशकों सहित अनेक हितधारकों से अंशदान प्राप्त करेंगी। स्वामीह निवेश निधि-I विशेष विंडो के अंतर्गत स्थापित पहली वैकल्पिक निवेश निधि है जिसकी लक्षित राशि 12500 करोड़ रुपए है, जिसमें 13 घरेलू और वित्तीय संस्थाओं तथा भारत सरकार ने 10,530 करोड़ की कुल राशि का योगदान दिया है। इस निधि में भारत सरकार का अंशदान 5000 करोड़ रुपए है। स्वामीह निवेश निधि-I के लिए एसबीआईकेप वैंचर्स लिमिटेड को निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग): सामान्य तौर पर खुदरा/व्यक्तिगत खंड की वर्षानुवर्ष ऋण वृद्धि और विशेषकर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के लिए आवास ऋण में क्रमशः 16.9 प्रतिशत और 17.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, 28 फरवरी, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 'डिप्लॉयमेंट ऑफ ग्रॉस बैंक क्रेडिट बाई मेजर सेक्टर्स' के अनुसार।

****